छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 945/2007</u>

1. श्रीमती सुमनलता सिंह, – *अपीलार्थी*
10/257, सहदेव नगर,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन विभाग, कवर्धा
जिला- कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 27 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 22.05.2007 को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया था । जन सूचना अधिकारी द्वारा अधिक फीस मॉंग किये जाने के कारण उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील पर उनके आदेश दिनांक 22.08.2007 में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु पुनः अधिक फीस की मॉंग किये जाने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.10.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रति अपीलार्थी ने पूर्व में जानकारी निःशुल्क देना बताया था और अपीलार्थी ने बाद में उसका अध्ययन कर बहस हेतु समय चाहा गया, तत्पश्चात् उभय पक्ष की सहमति के साथ एक पत्र अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.03.2008 को प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी के हस्ताक्षर है और अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह लिखा है कि उन्हें समस्त जानकारी निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है, अतः अपीलार्थी अपील में बल नही देना चाहती है और अपील वापस लेना चाहती है । मौखिक रूप से अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि बकाया राशि के भुगतान की जिस समस्या के लिए सूचना चाही जा रही थी वह समस्या भी विभाग द्वारा लगभग हल कर दी गई है ।

3/ अत: उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील वापस लेने के कारण उक्त अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त